

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पदेन सहायक कलक्टर करेडा जिला-भीलवाड़ा

आसीन अधिकारी :- बन्शीधर योगी, (आर0ए0एस0)

कदमा संख्या :- 133/2024 प्र0प्र

01. राजाराम ज0 राजपुर देवी नि0 राजपुर-रह0 देवा

प्रार्थी.....

बनाम

01. राजाराम ज0 राजपुर देवी नि0 राजपुर-रह0 देवा-राजपुर-रह0

विपक्षीगण.....

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा0मू0रा0अधि0 1956

:: आदेश ::

दिनांक

17/6/24

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा0मू0राज0अधि0 1956 के तहत प्रस्तुत आवेदन किया कि ग्राम राजपुर पटवार हल्का राजपुर तहसील करेडा में उसके खाते/संयुक्त की खाता संख्या 30 आराजी नम्बर 140/41 0.6702

कुलकिता 1 रकबा 0.6702 हैक्टेयर भूमि स्थित है। वादग्रस्त विपक्षीगण के मध्य आराजी मुतदाविया के सीमा चिन्ह नहीं होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता है। जिसमें प्रार्थी अपने खाते/ संयुक्त खातों की भूमि की पत्थरगढी के आदेश प्रदान कराये जावे।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक 22/4/24 को पंजीबद्ध किया जाकर प्रकरण को नार्थ से यह बात सिद्ध है कि वादग्रस्त भूमि प्रार्थी के खाते एवं कब्जे काश्त की होने से पत्थरगढी कराने कारी है। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकार अभिलेख में किसी प्रकार की हैरा-फैरी होने का नहीं है तथा न किसी प्रकार अधिकार निर्धारित किये जाते हैं। अतः इनत तथ्यों का देखते हुये नैसर्गिक अधिक सिद्धान्त के आधार पर आवेदन पत्र प्रार्थी स्वीकार योग्य है।

:: आदेश::

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र धारा 111-128 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 का स्वीकार किया जाकर ग्राम राजपुर पटवार हल्का राजपुर तहसील करेडा में स्थित खाता संख्या 30 आराजी नम्बर 140/41 0.6702

कुलकिता 1 रकबा 0.6702 हैक्टेयर भूमि के चारों तरफ सीमा की जानकारी किये जाने हेतु पत्थरगढी किये जाने हेतु भू- अभिलेख निरीक्षक राजपुर को 500 रुपये कमिश्नर फीस पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर फीस प्रार्थीगण मौके पर जमा करावे। फीस जमा होने पर पक्षकारान की मौजूदगी में मौके व कब्जे की यथास्थिति को बनाये रखते हुये बिन्दु को आधार मानकर पत्थरगढी की जावें। फसल खड़ी होने पर पत्थरगढी नहीं की जावे।

प्रार्थना पत्र की प्रतिलिपी

उपखण्ड अधिकारी करेडा, जिला- भीलवाड़ा

— तहसीलदार करेडा को भेजकर लेख है कि प्रार्थी द्वारा राशि जमा कराने पर नियमानुसार की जाकर पालना रिपोर्ट 07 दिवस में प्रस्तुत करे।

उपखण्ड अधिकारी करेडा, जिला- भीलवाड़ा